

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

--:आदेश:-


क्रमांक 228/दो-11-6/23

नर्मदापुरम, दिनांक 23.02.2026

श्री बन्टी कुमार अहिरवार, स्टेनोग्राफर न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पिपरिया दिनांक 09.03.2026 से 12.03.2026 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश, पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 122 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क09/9/दो-11-6/23

नर्मदापुरम, दिनांक 23.02.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्री बन्टी कुमार अहिरवार, स्टेनोग्राफर को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)